



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) के वितरक कार्य

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी (तहसील एवं जिला स्तर पर) क्षेत्रों में साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) के वितरक कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक एवं सक्षम आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 14.03.2023 को www.sanchidairy.com से समय 11:30AM बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 6.04.2023 समय 11:30AM बजे तक
3.	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 6.04.2023 एवं समय 1:00 PM बजे से

उपरोक्त विवरण के अनुसार आवेदनकर्ता वितरक कार्य संबंधी आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर निर्धारित तिथि एवं समय पर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी प्रक्रिया द्वारा वितरक कार्य हेतु चयन किया जाएगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

साँची सुदाना पशु आहार वितरक
एवं फिड सप्लीमेंट (मिनरल
मिक्चर, फाडर ब्लॉक) वितरक कार्य
हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते
है।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com



कार्य का नाम- साँची सुदाना पशु आहार एवं फिड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) के वितरक कार्य आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर दिनांक 14.3.23 समय 11:30AM बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 6.04.2023 समय 11:30AM बजे से
3.	आवेदन खोलने का स्थान, समय एवं तिथि	दिनांक 6.04.2023 समय 1:00PM बजे से भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में।
4.	आवेदनकर्ता आवश्यक अर्हता	प्रपत्र क्र. 01
5.	आवेदनकर्ता परिचयपत्र	प्रपत्र क्र. 02
6.	वितरक कार्य हेतु आवश्यक शर्तें	प्रपत्र क्र. 03

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य तथ्य:-

1. प्रपत्र क्र. 01 "आवेदनकर्ता की आवश्यक अर्हताएँ", प्रपत्र क्र. 02 "आवेदनकर्ता का परिचय पत्र" एवं प्रपत्र क्र. 03 "आवेदनकर्ता का परिचय पत्र" की प्रतिपूर्ति कर एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
2. लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस स्थान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक को दोपहर बजे तक जमा करें। वितरक कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधि कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल।

महोदय,

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी (तहसील एवं जिला स्तर पर) क्षेत्रों में साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) में शहर/क्षेत्र में साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरा आवेदन नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

आवेदकर्ता का नाम (कम्पनी/फर्म/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		आवेदकर्ता का नाम (कम्पनी/फर्म/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करें।
आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है।		जीएसटी की छायाप्रति संलग्न करें।
आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप) दुकान / कार्यालय किराए से लेने पर किराएनामों की प्रति।		आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप) द्वारा तदाशय का किराए नामों की प्रति संलग्न करें।
आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप) दुकान/आफिस के रंगीन फोटो संलग्न करें।		आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप) तदाशय का रंगीन फोटो संलग्न करें।
आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप) का म.प्र. दुकान अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान का पंजीयन होना अनिवार्य है।		आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप) दुकान के पंजीयन की प्रति संलग्न करें।

<p>आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा किसी भी संस्थान द्वारा पुलिस थाने/मा. न्यायालय में वर्तमान में कोई प्रकरण लंबित हो।</p>		<p>तदाशय का शपथ पत्र रू 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप संलग्न है। जिसे पढ़कर स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।</p>
<p>आवेदनकर्ता को (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 एवं 03 भरकर संलग्न करें।</p>		<p>तत्संबंध में आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 नियम एवं शर्तें एवं प्रपत्र क्र. 03 संलग्न करें।</p>

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न करना अनिवार्य है। दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाए जाने पर ऐसे आवेदनकर्ता अमान्य घोषित होंगी।
- (2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

टेलीफोन नं. _____

मोबाईल नं _____

साँची सुदाना पशु आहार एवं फिड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र

स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. आवेदनकर्ता का नाम
(फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप फर्म / एकल स्वामित्व)
2. पिता / पति का नाम
3. स्थाई / वर्तमान पता

4. दूरभाष / मोबाईल नं.

5. ई-मेल एड्रेस

6. वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थान का नाम

(आवेदनकर्ता वितरक कार्य हेतु  उपर दिए गए खण्ड में स्थान का नाम लिखें)

7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)

8. (अ) पेन नम्बर

(स) आधार कार्ड नम्बर.....

(द) जीएसटी नंबर

9. आवेदनकर्ता द्वारा फार्म क्रय की गई रसीद नंबर

(समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें एवं फार्म क्रय की मूल प्रति संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची सुदाना पशु आहार एवं फिड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) वितरक कार्य संबंधी इस आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) वितरक कार्य हेतु नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदनकर्ता वितरक कार्य हेतु एक से अधिक स्थानों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु आवेदनकर्ता को केवल एक स्थान पर वितरक कार्य करने की अनुमति होगी।
2. आवेदनकर्ता अपने कार्य की सुविधा की दृष्टि से प्राथमिकता निर्धारित कर स्थानों का चयन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें आवेदनकर्ता द्वारा प्राथमिकता के क्रम पर निर्धारित किए गए पहले स्थल पर उसका नियमानुसार चयन होने पर वितरक कार्य आवंटित किया जाएगा। इस बावत् आवेदनकर्ता **“वितरक के चयन कार्यवाही के दौरान”** समिति के समक्ष अपनी प्राथमिकता को रखेंगे तथा आवेदनकर्ता का चयन होने पर समिति उसकी प्राथमिकता के दृष्टिगत वितरक कार्य आवंटित करेगी।

3. चयन प्रक्रिया :-

साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) वितरक कार्य हेतु किसी भी स्थान पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन संबंधी दस्तावेजों का (आवश्यक अर्हताएं) परीक्षणोंपरांत सफल पाये जाने पर कार्य आवंटित किया जाएगा तथा किसी भी स्थान में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक अर्हताओं के परीक्षण उपरांत पात्र आवेदनकर्ताओं का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।

4. प्रतिभूति राशि :-

सफल आवेदनकर्ता को बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में रु. 10,000/- (शब्दों में रूपये दस हजार मात्र) डीमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक पेयबल एट **“महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र, पचामा, सीहोर** के नाम से देय होगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समय समय साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) विक्रय अनुसार प्रतिभूति राशि में बढ़ोतरी की जाएंगी।

5. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) का आवेदन नियमानुसार स्वीकृत होने के उपरांत अनुबंध का निष्पादन रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर दो जमानतदार के साथ जिसमें एक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का वेतन स्लिप जो कि संबंधित विभाग अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो मय आधार कार्ड, फोटो सहित जमा करेंगे। इसी तरह एक प्राइवेट कर्मचारी के आधार कार्ड, फोटो सहित एक माह में जमा करेंगे। अन्यथा निर्धारित समय में औपचारिकताएं पूरी न करने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
6. सफल आवेदनकर्ता को वितरक कार्य हेतु साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) की मांग स्वयं के नाम से दूरभाष के द्वारा देना होगा।
7. संस्था द्वारा साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) ट्रक से भेजा जावेगा इसमें होने वाले परिवहन में ट्रक लोडिंग (संयंत्र की अनुमोदित दर पर) व माल उतराई आदि सभी व्यय वितरक को वहन करना होंगे।
8. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को अपने स्तर पर एवं स्वयं के व्यय के से भी समय-समय पर प्रचार प्रसार सामग्रीयों का मुद्रण एवं निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु पृथक से दुग्ध संघ द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

9. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को कम से कम 5 मै. टन या इससे अधिक मात्रा उठाना होगी। इसका भुगतान अग्रिम ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक, आरटीजीएस अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा करना होगा।
10. **वितरक की अनुबंध अवधि-**
वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
11. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत अविलंब साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) वितरक कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा, यदि वितरक कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कतिपय कारणों से वितरक कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो उसे दुग्ध संघ प्रबंधन के समक्ष उसी समय सूचना देनी होगी। तदुपरांत प्रकरण में दुग्ध संघ द्वारा नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत वितरक को कार्य प्रारंभ करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसे प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि वितरक किसी भी कारणवश व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दुग्ध संघ प्रबंधन के समक्ष नियत समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में वितरक कार्य निरस्त कर उसकी दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर वितरक का नाम दुग्ध संघ की काली सूची में डाल दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जवाबदेही वितरक की होगी।
12. यदि सफल आवेदनकर्ता (वितरक) कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् अथवा अनुबंध अवधि में इस कार्य को करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं तो उसे अनुबंध की शर्त क्र. 01 में वर्णित नियमों के अंतर्गत दुग्ध संघ प्रबंधन को कार्य छोड़ने हेतु एक माह की लिखित में अग्रिम सूचना देनी होगी। अन्यथा नियमानुसार सूचना न देने पर वितरक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी जो कि वितरक को मान्य होगी।
13. वितरक दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से अभद्रता/अनुशासनहिनता नहीं करेंगे अन्यथा ऐसी स्थिति निर्मित होने की दशा में सुदाना पशु आहार वितरक कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
14. दुग्ध समितियों की मांग पूरी करने के बाद शेष बचा सुदाना पशु आहार ही वितरक को दिया जावेगा। इस संबंध में कोई वाद विवाद मान्य नहीं होंगे।
15. संस्था द्वारा किसी अपरिहार्य कारणों से माल की आपूर्ति नहीं की जाती है तो वितरक किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावेदार नहीं रहेगा।

16. समय-समय पर साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) प्रदाय की दरें व एमआरपी परिवर्तनशील रहेंगी। जो कि वितरक को मान्य रहेगी। वितरक द्वारा पशु आहार मूल पैकिंग को बदला नहीं जावेगा। संयंत्र प्रांगण से पशु आहार बाहर जाने के बाद माल के वजन में कमी अथवा अन्य शिकायतों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी संस्था की नहीं रहेगी।
17. सफल आवेदनकर्ता अपना आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेंगे। अनुबंध अवधि में ऐसा करते पाए जाने पर वितरक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जो कि वितरक को मान्य होगी।
18. साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) रखने में गोदान की पूर्ण सुरक्षित व्यवस्था वितरक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। किसी भी स्थिति में गीला या खराब सुदाना विक्रय नहीं किया जावेगा।
19. किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवेदनों को सकारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
20. आवेदनकर्ता की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा हस्तांतरित की जा सकेगी। यदि उत्तराधिकारी वितरक कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे मृतक का मृत्यु का प्रमाणपत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तदुपरांत ही वितरक (मृतक) की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि समक्ष अधिकारी के अनुमोदन उपरांत वापसी योग्य होगी।
21. वितरक कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों का प्रारूप परिशिष्ट '06' पर संलग्न है।

घोषणा-

मेरे/हमारे द्वारा वितरक कार्य की सभी नियम एवं शर्तों के भलीभांती अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़कर समझ लिया गया है एवं मुझे/हमें कार्य की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई भी शर्तों के उल्लंघन किया जाता है। मेरे/हमारे विरुद्ध भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमती देते हैं।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र. 04

शपथ पत्र (केवल रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम..... यह कि मुझे/हमें कभी भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा मेरा/हमारा वर्तमान में किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है/चल रहा है।

यदि इस संबंध में किसी भी समय वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मै/हम अपनी सहमती देते हैं।

दिनांक-

गवाह-

1 नाम

पता-

.....

मो.नं.-

आधारकार्ड नं.-

2 नाम-

पता-

.....

मो.नं.-

आधारकार्ड नं-

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नाम-

पता-

.....

मो.नं.



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र. 05

साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थलों की सूची

1. जिला विदिशा अंतर्गत प्रस्तावित स्थल –

स.क्र.	स्थान का नाम	प्रस्तावित वितरक संख्या
1	विदिशा शहर	01
2	नटेरन	01
3	पठारी	01
4	लटेरी	01
5	कुरवाई	01
6	सिरोंज	01
7	त्यौंदा	01
8	ग्यारसपुर	01
9	गुलाबगंज	01
10	शमसाबाद	01
11	बालमपुर	01
कुल योग		11

2. जिला रायसेन के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

स.क्र.	स्थान का नाम	प्रस्तावित वितरक संख्या
1	रायसेन शहर	01
2	गैरतगंज	01
3	बेगमगंज	01
4	ओबेदुल्लाहगंज	01
5	बरेली	01
6	शिलवानी	01
7	गौहरगंज	01
8	सुल्तानपुर	01
9	बाड़ी	01
10	साँची	01
11	उदयपुरा	01
कुल योग		11

3. जिला सीहोर के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

स.क्र.	स्थान का नाम	प्रस्तावित वितरक संख्या
1	तुमड़ा	01
2	नसरुल्लागंज	01
3	बिलकिसगंज	01
4	शाहगंज	01
5	सलकनपुर	01
6	मालीवाया	01
7	बुधनी	01
8	रेहटी	01
कुल योग		08

4. जिला शाजापुर के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

स.क्र.	स्थान का नाम	प्रस्तावित वितरक संख्या
1	अकोदिया	01
2	अरनियाकलौ	01
3	कालापीपल	01
4	इकलेरा	01
5	शाजापुर शहर	01
कुल योग		05

5. जिला हरदा के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

स.क्र.	स्थान का नाम	प्रस्तावित वितरक संख्या
1	हरदा शहर	01
2	चारुवां	01
3	सिराली	01
4	छिपानेर	01
5	खिरकिया	01
6	टिमरनी	01
7	रेहट गाँव	01
कुल योग		07

6. जिला राजगढ़ के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

<u>स.क्र.</u>	<u>स्थान का नाम</u>	<u>प्रस्तावित वितरक संख्या</u>
1	तलेन	01
2	उदनखेड़ी	01
3	खिलचीपुर	01
4	कुरावर	01
5	जीरापुर	01
6	सारंगपुर	01
7	पचौर	01
8	सुठालिया	01
9	राजगढ़ शहर	01
कुल योग		09

7. जिला बैतूल के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

<u>स.क्र.</u>	<u>स्थान का नाम</u>	<u>प्रस्तावित वितरक संख्या</u>
1	आठनेर	01
2	सारणी	01
3	चिचोली	01
4	बैतूल बाजार	01
5	आमला	01
6	मुलताई	01
7	शाहपुर	01
8	घोड़ाडोगरी	01
कुल योग		08

8. जिला भोपाल के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

<u>स.क्र.</u>	<u>स्थान का नाम</u>	<u>प्रस्तावित वितरक संख्या</u>
1	हूजूर	01
2	बेरसीया	01
3	कोलार	01
कुल योग		03

9. जिला नर्मदापुरम के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

<u>स.क्र.</u>	<u>स्थान का नाम</u>	<u>प्रस्तावित वितरक संख्या</u>
1	नर्मदापुरम शहर	01
2	ईटारसी	01
3	सिवनी मालवा	01
4	बाबई	01
5	सौहागपुर	01
6	पीपरिया	01
7	वनखेडी	01
8	दोलरीया	01
कुल योग		08

10. जिला गुना के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

<u>स.क्र.</u>	<u>स्थान का नाम</u>	<u>प्रस्तावित वितरक संख्या</u>
1	राघौगढ़	01
2	गुना शहर	01
3	चाचौड़ा	01
4	आरोन	01
5	बमोरी	01
6	मकसुदनगढ़	01
7	कुम्भराज	01
कुल योग		07

अनुबंध प्रपत्र (देखने हेतु)

यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक..... को प्रथम पक्ष महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र पचामा सीहोर (म.प्र.) जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मैसर्स (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व वितरक कार्य संपादित करेंगे :-

01. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यवसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। इसके लिए दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरकशीप छोड़ने बावत् देना होगा।
02. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संघ के पास राशि रु (रूपये मात्र) बी आर/एम आर क्र. दिनांक को बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में जमा किया गया है। जिस पर कोई ब्याज दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा।
03. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा आवंटित शहर जिला (मध्यप्रदेश) जिस पर स्थित साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) विक्रय केन्द्रों जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है।
04. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मूल्य पर साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) उसकी मांग अनुसार प्राप्त करेगा किन्तु कतिपय कारणों से जैसे संयंत्र की यांत्रिकी रॉ मटेरियल (व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में संयंत्र किसी भी तरह के हर्जाने आदि के भुगतान को न दिये जाने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र व कानूनी प्रक्रियाओं से परे होगा।
05. द्वितीय पक्ष को साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) रखने में गोदान की पूर्ण सुरक्षित व्यवस्था वितरक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। किसी भी स्थिति में गीला या खराब सुदाना विक्रय नहीं किया जावेगा।
06. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को कम से कम 5 मै. टन या इससे अधिक मात्रा उठाना होगी। इसका भुगतान अग्रिम ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक, आरटीजीएस अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा करना होगा।
07. द्वितीय पक्ष, शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जवाबदार व्यक्तिशः या कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगा।
08. द्वितीय पक्ष, द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता करते पाये जाने की दशा में वितरक के विरुद्ध 10% की पेनल्टी लगाई जावेगी जो कि वितरक पर बन्धनकारी होगा। यदि इसके बावजूद भी वितरक अनियमितता की श्रेणी में आता है तो दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा बिना कोई नोटिस दिये वितरक से वितरकशिप समाप्त कर दी जायेगी। जिसकी जवाबदेही वितरक की स्वयं की होगी एवं दुग्ध संघ किसी भी न्यायालयीन कार्यवाही से मुक्त रहेगा।
09. द्वितीय पक्ष उसको आवंटित की गई वितरकशिप किसी अन्य को हस्तांतरित/स्थानांतरित नहीं कर सकेगा।
10. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश द्वितीय पक्ष को पत्र/परिपत्रों अथवा मौखिक रूप से दिये जावेगे वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेगे।
- 10.1 समय समय पर प्रथम पक्ष, द्वारा द्वितीय पक्ष को दिये गये निर्देश का पालन करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होवेगा एवं यदि प्रथम पक्ष यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है या उसे दिये समय समय पर दिशा निर्देश का जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये इस अनुबंध की कंडिका क्र. 7 के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होवेगा।
11. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर के न्यायालय में होवेगा तथा यह अनुबंध दुग्ध संघ एवं वितरक की आपसी सहमति के तहत दिनांक को निष्पादित किया गया है एवं वितरक कार्य संतोषप्रद

होने की स्थिति में इस अनुबंध की समयावधि आपसी सहमति से बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ को होगा।

12. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
13. प्रथम पक्ष के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा साँची सुदाना पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्चर, फाडर ब्लाक) को निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक दर पर विक्रय, अनुबंध की कण्डिकाओं के विपरित कार्य करने/किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुये पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के वितरकशिप समाप्त कर दी जावेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
14. द्वितीय पक्ष की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा हस्तांतरित की जा सकेगी। यदि उत्तराधिकारी वितरक कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे द्वितीय पक्ष का मृत्यु का प्रमाणपत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तदुपरांत ही द्वितीय पक्ष की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि प्रथम पक्ष के अनुमोदन उपरांत वापसी योग्य होगी।
15. आवेदन प्रपत्र में वर्णित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग होगी।

दिनांक—

गवाह—

नाम

पता—

.....

.....

मो.नं.—

आधारकार्ड नं.—

1 नाम—

पता—

.....

.....

मो.नं.—

आधरकार्ड नं.—

हस्ताक्षर

नाम—

पता—

.....

.....

मो.नं.



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

रु 100/- नोटराइज्ड स्टॉप

मैं.....पिता / पति / पत्नी.....आयु.....निवासी.....
.....ग्रामीण वितरक शहर / तहसील / ग्राम पंचायत.....
.....अपना विधि सम्मत उत्तराधिकारी श्री / श्रीमती..... को घोषित करता
हूँ / करती हूँ। साथ ही वितरकशिप स्वीकृत होने के उपरान्त मुझे **संघ** की समस्त शर्तें एवं नियम
मान्य हैं। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त में से किसी भी कण्डिकाओं के विरुद्ध कार्य / अनियमितता की
जाती है तो प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार की मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसकी
सम्पूर्ण जवाबदेही मेरी स्वयं की होगी एवं **दुग्ध** संघ किसी भी न्यायालयीन कार्यवाही से मुक्त
रहेगा।

हस्ताक्षर
वितरक (द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रथम पक्ष)

गवाह
हस्ताक्षर

प्रभारी (विपणन)

1
पता.....

गवाह हस्ताक्षर

2
पता.....

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री आयु.....
..... मे है कि, कार्यालय में कार्यरत हूँ। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष,
श्री पुत्र श्री आयु निवासी
..... कथन करते हैं, के बीच आज दिनांकको वितरक
अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये
रुपये 25000/- (रु पच्चीस हजार) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की
राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा
प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे वितरक अनुबंध की पूर्ति के जमानत
बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाहा :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

जमानतदार:

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री आयु.....
..... मे है कि, कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री
..... आयु निवासी
के बीच आज दिनांकको सांची सुदाना पशु आहार वितरक अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रुपये 25000/- (रु पच्चीस हजार) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे वितरक अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाहा :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

जमानतदार:

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

शपथ पत्र

मै..... आत्मज श्री आयु निवासी.....
..... शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि

1. मैने आज दिनांक को यह अनुबंध करार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित भोपाल से सांची सुदाना पशु आहार वितरक के माध्यम से विक्रय हेतु किया है जिसकी समस्त सेवा शर्ते मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र मे प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मै सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक को में किया गया।

शपथग्रहिता.....